

5.8.24

वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी द्वारा डिप्टी अनुसूच शपथ  
रिकार्ड में अंकन होगा बताया। प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही  
शेष नहीं है पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। फाइल  
नंबर से कम नंबर दाखिल दफ्तार हो।

आदेश से स्थलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GICMS

2016/00236